अल्पकालिक निविदा सूचना

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में टी0वी0सी0 व डाक्यूमेन्ट्री फिल्म बनाने के लिए अल्पकालिक निविदा दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा का फार्म उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय, 8 तिलक मार्ग, लखनऊ से किसी भी कार्य अवधि में रु0 500.00 (रुपये पाँच सौ मात्र) का भुगतान कर क्रय किया जा सकता है।

वेबसाइट से डाउनलोड किये गये फार्म के साथ रु0 500.00 (रुपये पाँच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट ''उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड'' के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा।

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
8–तिलक मार्ग, लखनऊ
निविदा फार्म

1.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	– रू0 500.00 (रूपये पांच सौ मात्र)
2.	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अन्तिम तिथि व समय	– प्रकाशन की तिथि से 14 अक्टूबर 2016 तक
3.	निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	– दिनांक 14 अक्टूबर 2016 अपरान्ह् 3.00 बजे तक
4.	निविदा खुलने की तिथि व समय	– दिनांक 14 अक्टूबर 2016 अपरान्ह 4.00 बजे

कार्य का विवरण

1. वृत्तचित्र – 30 मिनट
2. टी0वी0सी0 – 120 सेकेण्ड

संस्था का टेक्निकल बिड निम्नलिखित प्रारूप एवं अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करनी होगीः–

फर्म से सम्बन्धित आवश्यक विवरण

1. नाम
2. पता
3. टेलीफोन नं0/मोबाइल नं0/ई–मेल
4. संस्था का पैन नंम्बर
5. संस्था के पंजीकरण का प्रकार व प्रमाण पत्र
6. सर्विस टैक्स पंजीकरण नम्बर
7. अर्नेस्ट मनी रू0 30,000.00 (रू0 तीस हजार मात्र) जमा करने सम्बन्धी एफ0डी0आर0/डी0डी0 नम्बर
8. संस्था के पास उपलब्ध स्टूडियो, कैमरा आदि का विवरण
9. संस्था के अन्य दस्तावेज व अनुभव (यदि कोई हो) ।

घोषणा

मैं श्री .... प्रबन्धक/स्वामी .... (फर्म का नाम) ....(पता) .... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उक्त सभी सूचनायें सही हैं तथा इनके किसी भी समय गलत पाये जाने की दशा में मेरी निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी घोषणा कर रहा/रही हूं कि मुझे इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्धारित समस्त शर्ते (जिनकी प्रति मुझे उपलब्ध करायी गयी है) स्वीकार्य है।

दिनांक

फर्म के हस्ताक्षर,
मुहर सहित

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
8–तिलक मार्ग, लखनऊ
<u>फाइनेन्सियल बिड का प्रारूप</u>

1. फर्म का नाम

2. कार्य का विवरण एवं दरें

क्र0	कार्य का विवरण	विषय	अवधि	दरें प्रति यूनिट	धनराशि
1. 2.	टी0वी0सी0 निर्माण हिन्दी भाषा में (एच0डी0 फार्मेट पर) व लैंग्वेज वर्जन अंग्रेजी भाषा में ।	खादी एंव ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रचार	120 सेकेण्ड		
3. 4.	वृत्त चित्र निर्माण हिन्दी में । (एच0डी0 फार्मेट पर) व लैंग्वेज वर्जन अंग्रेजी भाषा में ।	खादी वस्त्र नहीं विचाराधारा है– खादी में युवाओं के लिए रोजगार की असीम सम्भावनाएं	30 मिनट		

दिनांकः

फर्म के हस्ताक्षर
मुहर सहित

निविदा शर्तें

1. समस्त आवश्यक विवरण निर्धारित प्रपत्र में साफ–साफ भरी जाएं। किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगीं।
2. निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मोहर होना आवश्यक है।
3. टेक्निकल बिड जिसमें संस्था से सम्बन्धित विवरण आदि होंगे उसे एक लिफाफे में अर्नेस्ट मनी के साथ सील बन्द किया जाए और लिफाफे के ऊपर टेक्निकल बिड लिखा जाए। फाइनेंन्सियल बिड अलग सील बंद लिफाफे में रखीं जाये। दोनो सीलबन्द लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबन्द कर निविदा बाक्स उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, 8– तिलक मार्ग लखनऊ में डाले जायेगें।
4. संस्था का पैन नम्बर
5. कार्यादेश जारी होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित फिल्म बनाकर विभाग को दो डी0वीं0डी0 उपलब्ध कराना होगा अन्यथा कीं स्थिति में अर्नेस्ट मनी जब्त होगीं।
6. निविदा फार्म के साथ अर्नेस्ट मनीं के रूप में रू0 30,000.00 (रूपये तीस हजार मात्र) की धनराशि सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0/डी0डी0 **''उ0प्र0 खादीं तथा ग्रामोद्योग बोर्ड''** लखनऊ के नाम बन्धक कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो जमानतीं राशि कार्य पूर्ण करने के उपरान्त फर्म को वापस कर दिया जायेगा।
7. बींजक प्राप्त होने पर नियमानुसार आयकर कीं कटौतीं करके देय धनराशि का भुगतान फर्म को किया जायेगा।
8. सशर्त निविदा स्वींकार नहीं कीं जायेगीं।
9. 5किसीं भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।
10. फर्म द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदो में कार्यरत खादी एवं ग्रामोद्योगी इकाईयों का वास्तविक निरीक्षण एवं साक्षात्कार कर फिल्म तैयार की जायेगीं।
11. कार्य कीं तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत आदेश निर्गत कीं तिथि से एक माह में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
12. चयनित फर्म को विभाग के साथ रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर शर्तों के अनुरूप एक राप्ताह के अन्दर अनुबन्ध करके कार्य प्रारम्भ कर देना होगा तथा स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार स्टाम्प शुल्क भी देय होगा।
13. निर्माता द्वारा उपलब्ध कराये गये क्रिएटिव उ0प्र0 खादीं तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कीं सम्पत्ति होगीं।
14. कार्य संतोषजनक न होने कीं दशा में अनुबन्ध निरस्त करने तथा जमानतीं धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारीं को होगा।
15. बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का होगा।

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारीं